

न्यायालय सहायक कलक्टर राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक/सरिश्ता 5-08(07)2018/141

दिनांक : 26 मार्च, 2018

निमित्त,

तहसीलदार

राशमी

विषय :- बाबत् पत्थरगढ़ी।



1. सुरेश कुमार पिता नाथुलाल जाति नाई उम्र बालिग निवासी राशमी।
2. सुनील कुमार पिता नाथुलाल जाति नाई उम्र बालिग निवासी राशमी।
3. मु० बदाम बाई बेवा नाथुलाल जाति नाई उम्र बालिग निवासी राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज०।

प्रार्थीगण**बनाम**

1. किशनलाल पिता मांगी लाल जाति अहीर उम्र बालिग निवासी उपरेडा तहसील राशमी।
2. रतनलाल पिता मांगी लाल जाति अहीर निवासी उपरेडा।
3. नारायण पिता मांगी लाल जाति अहीर निवासी उपरेडा।
4. गोपाल पिता मांगी लाल जाति अहीर निवासी उपरेडा।
5. सुन्दरबाई पत्नि चुन्नीलाल जाति अहीर उम्र बालिग निवासी उपरेडा तहसील राशमी।

अप्रार्थीगण**प्रार्थना पत्र संख्या :- 007/2018****-:: प्रार्थना पत्र बाबत् कराये जाने पत्थरगढ़ी ::-**

उपरोक्त अनवान से संबंधित प्रकरण में आपको 800/- रूपया शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि उपरेडा पटवार हल्का उपरेडा तहसील राशमी में स्थित आराजी संख्या 1188 की दोनों पक्षकारान की उपस्थिति में चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढ़ी अगर मौके पर किसी प्रकार का कोई विवाद एवं किसी न्यायालय द्वारा कोई स्थगन प्रभावी न हो तो तथा मौके पर फसल खड़ी न हो तो पत्थरगढ़ी की जावें, मौके पर किसी प्रकार का विवाद होने पर पत्थरगढ़ी नहीं कि जावे एवं इसी आशय का पर्चा मौका प्रेषित करावें। कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका पेश करे तथा कमिश्नर फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें।



401
(पंकज शर्मा)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी),
राशमी
राशमी, जिला-चित्तौड़गढ़